दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

रिपोर्ट कार्ड में सरकार 'फेल'

मैं दिल्ली से यह लिख रहा हूं, जो दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से है। अभी सर्दी बरकरार है। वसंत आने में कई हफ्ते बाकी हैं, जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने जिक्र किया था।

हाल में पांच राज्यों में हुए चुनावों में हार के बावजूद भाजपा नेतृत्व युद्ध की मुद्रा में है, संसद के प्रति कोई सम्मान नहीं है और संस्थानों को महत्त्वहीन कर दिया गया है। एक जनवरी, 2019 को एएनआइ को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा–'तेलंगाना और मिजोरम में भाजपा को किसी ने मौका नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में एक स्पष्ट जनादेश मिला और भाजपा हारी। लेकिन दो राज्यों– राजस्थान और मध्यप्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा आई।'

निर्णायक फैसला

त्रिशंकु विधानसभा का मतलब होता है कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तीन राज्यों में सिर्फ दो दल मुख्य दावेदार थे। नतीजों के बाद जिस दल के सरकार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, वह भाजपा थी और जिस पार्टी के पास सरकार बनाने का अवसर था, वह कांग्रेस थी और इसने बिना किसी दिक्कत के दोनों राज्यों में अपनी सरकार बना ली। इसे मैं निर्णायक फैसला कहूंगा, त्रिशंकु विधानसभा नहीं।

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने चौंतीस सीटें खोईं और उनचास से पंद्रह सीटों पर सिमट गई, मध्यप्रदेश में छप्पन सीटें खोकर एक सौ पैंसठ से एक सौ नौ सीटों पर आ गई और राजस्थान में नब्बे सीटें गंवा कर एक सौ तिरसठ से तिहत्तर सीटों पर आ गई।

यह निर्णायक रूप से भाजपा को नकारना था।

चुनावी नतीजों को लेकर नरेंद्र मोदी के विश्लेषण को कुछ ही ने स्वीकार किया। उदाहरण के लिए आरएसएस के भीतर यह माना जा रहा है कि यह बड़ी हार थी, इसलिए आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडे को और तेजी से बढ़ा रहा है और अयोध्या में राम मंदिर के लिए अध्यादेश की मांग कर रहा है, बावजूद इसके कि इस मामले से संबंधित अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

मोदी के इस इंटरव्यू को मीडिया ने कार्यकाल पूरा होने के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर दिखाया, जिसे लोगों ने देखा। दो मायनों से यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण था, एक तो यह कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, और दूसरा जो नहीं कहा।

जिक्र और चुप्पी

हम उन विषयों से शुरू करते हैं जिन पर प्रधानमंत्री बोले, जैसे– नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, भीड़ हिंसा, डॉ. उर्जित पटेल का इस्तीफा, सबरीमला, तीन तलाक विधेयक, रफाल, कृषि कर्ज माफी और महागठबंधन (विपक्षी दलों का गठजोड़)। और जैसी कि उनकी आदत है, कोई बात नहीं छोड़ी, कोई गलती स्वीकार नहीं की, और दावा किया कि उनकी सरकार ने जो किया सब सही था और 'मोदी सिर्फ लोगों के प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक है।'

मैं उन लोगों से बहुत सतर्क रहता हूं जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। नोटबंदी एक भारी गलती थी, जीएसटी में ढेरों खामियां थीं और इसे बहुत ही गलत तरीके से लागू कर हालात और बिगाड़ दिए गए, सर्जिकल स्ट्राइक कोई असाधारण कदम नहीं था, न ही इससे घुसपैठ या उग्रवाद पर कोई पर कोई लगाम लग पाई, तीन तलाक विधेयक बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर भेदभावपूर्ण बना दिया गया, रफाल सौदे से वायु सेना और हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड को नुकसान पहुंचाया गया, और उन गलत नीतियों का शुक्रिया जिनकी वजह से कृषि कर्ज माफी जरूरी हो गई थी। लोग इस विश्लेषण से सहमत होते नजर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण इससे ठीक उलट है।

अब हम उन विषयों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री चुप्पी मार गए। जैसे– बढ़ती बेरोजगारी, किसानों का असंतोष और खुद्दु शी की घटनाएं, महिला सुरक्षा, भीड़ हिंसा, जम्मू-कश्मीर, आर्थिकी, छोटे और मझौले उद्योगों का बंद होना, ठप पड़ी परियोजनाएं, दीवालिया कंपनियां, राजस्व और वित्तीय घाटे के बजट लक्ष्यों को हासिल कर पाने में नाकामी और सरकार से जानेमाने अर्थशास्त्रियों की विदाई।

मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री उस व्यक्ति की तरह हैं जो सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे को देख कर गाड़ी चलाता है। उन्होंने सिर्फ उसी के बारे में बात की जो बीत चुका, भविष्य के बारे में कुछ नहीं। वे आगे की ओर देख नहीं पा रहे हैं, और लोगों को देने के लिए उनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा है जो उनकी उम्मीदों को पूरा करे या अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए। इस रिपोर्ट कार्ड के हर पन्ने पर 'फेल' लिखा जा चुका है।

निराशाजनक कदम

नए साल में कुछ भी बदलता नजर नहीं आ रहा। दो जनवरी को लोकसभा में रफाल मुद्दे पर बहुत ही कटुता भरी उत्तेजक बहस हुई, प्रधानमंत्री नदारद थे, रक्षा मंत्री दर्शक बनी हुई थीं, और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसी भी मुख्य सवाल (जो मैंने सात अक्तूबर, 2018 को अपने इसी स्तंभ में पूछे थे) का जवाब नहीं दिया।

वसंत की शुरुआत में दस हफ्ते बाकी हैं। चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? मैं इस बारे में सिर्फ अटकल ही लगा सकता हूं।

लोगों में जो नैरेटिव बन रहा है वह यह कि जल्द ही बदलाव होगा। यह स्पष्ट है कि अगर सरकार इस नैरेटिव को पलटना चाहती है तो उसे कुछ करना होगा। मैंने यह लेख शुक्रवार को लिखा है, ऐसी हवा है कि जिन कदमों पर विचार चल रहा है उनमें किसान को ब्याज-मुक्त फसल कर्ज और छोटे तथा मझोले किसानों को नगदी हस्तातंरण जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। अगर सरकार सरकारी बैंकों को फसल कर्ज के लिए पैसा मुहैया कराने का निर्देश देती भी है तो नगदी हस्तातंरण के लिए पैसा लाएगी कहां से? नवंबर 2018 में वित्तीय घाटा लक्ष्य का एक सौ पंद्रह फीसद तक पहुंच चुका था। फिर भी, हताश सरकार 'राहत' का एलान कर सकती है, पैसा उधार ले सकती है, आंकड़ों और खातों को देख कर खुश हो सकती है और राजनीतिक हवा के पलटने की उम्मीद कर सकती है।

इन कदमों के नाकाम रहने पर सरकार विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। लेकिन ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगा, साथ ही यह भड़काने वाली और फूट डालने वाला कदम होगा।

सामान्यतया चुनाव के दस हफ्ते पहले सरकार जो भी करती है उसे लोग बहुत ही संदेह और अविश्वास के साथ देखते हैं। इसलिए रिपोर्ट में 'फेल' शब्द को हटा पाना आसान नहीं होगा।

वजूद के लिए संघर्ष

देवाशीष उपाध्याय

समाज का एक ऐसा वर्ग, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसे न पुरुष के रूप में, न ही महिला के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे किन्नर, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, ख्वाजा, सराय आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें उपहास और परिहास की दृष्टि से देखा जाता है। जबकि हमारे संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा, रोजगार, सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। पर ट्रांसजेंडरों के लिए ये सारी बातें बेमानी हैं।

दुर्भाग्य से देश में इनकी जनसंख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 2011 या पहले की गई किसी भी जनगणना में केवल पुरुष और महिला के दो स्तंभ होते थे। इसके कारण इनकी अलग से जनगणना नहीं की जा सकी। गैरसरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इनकी आबादी लगभग दस लाख होगी। किन्नर समुदाय रोजी-रोटी के लिए भीख मांगने या यौनकर्मी के रूप में काम करने को अभिशप्त हैं।

यह सच है कि किन्नर आमजन को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कभी-कभी अभद्रता तक कर देते हैं। इसलिए तर्क दिया जाता है कि, किन्नर तो काम करना ही नहीं चाहते हैं, भीख मांगना इनका पेशा है। जबकि वास्तविकता इससे अलग है। अधिकतर किन्नर आमजन की तरह उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी और रोजगार प्राप्त कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं। वे अपना पेट पालने और जीवन निर्वाह के लिए मजबूरी में भीख मांगते हैं। रुढ़िवादी मान्यताओं के कारण खुद इनका परिवार और समाज इन्हें स्वीकार नहीं करता है।

मुद्दा

> समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए ट्रांसजेंडरों के प्रति सामाजिक मान्यता और मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। किन्नरों के उत्थान और विकास के लिए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ और रोजगार के लिए अलग से कानून बनाना होगा।

किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति बहुत दयनीय है। देश में अनिवार्य और निश्शुल्क शिक्षा का प्रावधान होने के बावजूद अधिकतर ट्रांसजेंडर निरक्षर हैं। किन्नरों पर किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक दस से पंद्रह प्रतिशत ट्रांसजेंडर ही साक्षर हैं। समाज की मानसिकता है कि ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ अगर सामान्य बच्चा रहेगा तो वह भी बिगड़ जाएगा। जबकि ट्रांसजेंडर बच्चे भी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य होते हैं। जिस प्रकार पुरुष और महिला के बीच केवल लैंगिक भिन्नता होती है, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर भी पुरुष और महिला से लैंगिक रूप से भिन्न होते हैं।

देश में ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा का अलग से कोई प्रबंध नहीं है, जबकि महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों आदि की सुविधा के लिए अलग शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है, इन्हें सामान्य शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश मिलता है। ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा के लिए अलग शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिलना चाहिए, जिससे ट्रांसजेंडर भी समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।

सामाजिक उपेक्षा और अस्वीकार्यता के कारण ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार के सभी दरवाजे बंद हैं। हालांकि कानूनी रूप से ट्रांसजेंडरों को रोजगार या नौकरी प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संविधान में उनके लिए भी समान अवसर की बात कही गई है। इसके बावजूद उन्हें न तो सरकारी और न ही निजी क्षेत्र में सहजता से नौकरी प्राप्त होती है। हालांकि देश में कुछ गिने-चुने ट्रांसजेंडरों ने संघर्ष कर समाज की मूल धारा के विपरीत जाकर नौकरी या रोजगार प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह अपवाद मात्र है। शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के अभाव में ट्रांसजेंडरों को नौकरी मिल पाना मुश्किल है। सरकार आमजन के विकास और रोजगार प्राप्ति के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, पर दुर्भाग्य से ट्रांसजेंडर किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। या तो उन्हें योजना की जानकारी नहीं होती है, या होती भी है तो सरकारी अधिकारी उन्हें योजना का लाभ नहीं प्रदान करते हैं। ट्रांसजेंडरों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए समुचित रोजगार मुहैया कराया जाना आवश्यक है।

ट्रांसजेंडर स्वास्थ संबंधी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। संकीर्ण मानसिकता के कारण चिकित्सक ट्रांसजेंडरों को अछूत समझते हैं। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज कराने पर इनसे सामान्य मरीज की तुलना में अधिक पैसे वसूले जाते हैं। सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ संबंधी अनेक प्रबंध किए हैं, लेकिन सरकारी चिकित्सा सेवाओं का लाभ ट्रांसजेंडरों को नहीं मिलता।

देश में कमजोर और पिछड़े वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति सभी की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई न कोई कानून बनाया गया है, लेकिन ट्रांसजेंडरों की सामजिक सुरक्षा के लिए न कोई कानून है, न ही इनके साथ होने वाली किसी अप्रिय घटना के लिए अलग से कोई निवारण तंत्र या आयोग की व्यवस्था की गई है। किन्नरों का जन्म भी हमारे ही समाज में होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के कारण इनमें लैंगिक या जननांगों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। या इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण आ जाते हैं। लैंगिक रूप से पुरुष और महिलाओं से भिन्न होने के कारण इनका यौन शोषण होता है। यौन शोषण या बलात्कार की स्थिति में इन्हें सामान्य थानों से न्याय भी नहीं मिलता, उल्टे इन्हीं पर दोष मढ़ दिया जाता है। इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। जिससे ये अपनी शिकायत लेकर थाने भी नहीं जाते हैं।

विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर, किन्नर समुदाय शहर की गंदी बस्तियों या किराए के मकान में रहने को बाध्य हैं। इन्हें सरकार की किसी भी लोककल्याणकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। सरकार भी इनके कल्याण या पुनर्वास के लिए कोई पहल नहीं करती है। स्थायी निवास के अभाव के कारण इनके पास सरकारी पहचान पत्र जैसे– वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं होते हैं। इनको पैतृक संपत्ति में भी अधिकार नहीं मिलता है।

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उनके प्रति होने वाले भेदभाव, तिरस्कार, अन्याय, उपेक्षा, अत्याचार आदि को विभिन्न मंचों पर लगातार उठाया जाता रहा है। उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए ट्रांसजेंडरों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की और सरकार को हर जगह पुरुष और महिला के अलावा थर्ड जेंडर का कॉलम बनाने का निर्देश दिया है। पर मात्र तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त होने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। न्यायालय ने सरकार को ट्रांसजेंडरों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नौकरी में आरक्षण देने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के राधाकृष्णन और एके सिकरी की पीठ ने कहा था कि किन्नर समाज आज भी अछूत बने हैं। आमतौर पर स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में इन्हें दाखिला नहीं मिल पाता है। उनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए ट्रांसजेंडरों के प्रति सामाजिक मान्यता और मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। किन्नरों के उत्थान और विकास के लिए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ और रोजगार के लिए अलग से कानून बनाना होगा। 1994 में पहली बार ट्रांसजेंडरों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। पर बच्चा गोद लेने और संपत्ति के अधिकार से ट्रांसजेंडर अभी वंचित हैं। ट्रांसजेंडरों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए संरक्षण कानून बनाने के साथ-साथ इनके कल्याणार्थ योजनाएं और आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना होगा। संसद ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और संरक्षण विधेयक 2016 द्वारा इनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान कर रही है। लेकिन सबसे जरूरी है समाज की नकारात्मक मानसिकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन होना और ट्रांसजेंडरों को भी सामान्य नागरिक समझना।

चर्चा कम, तमाशा ज्यादा

लोकसभा में पिछले हफ्ते रफाल सौदे पर तमाशा ज्यादा हुआ, चर्चा कम। कांग्रेस सांसदों ने वित्तमंत्री का भाषण सुनने के बजाय कागज के जहाज उड़ाए। हंसी-मजाक करते रहे, जैसे स्कूलों में शरारती बच्चे करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने गंभीर होकर उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने बचपन में कागज के जहाज काफी उड़ाए थे? क्या अब भी अपने आपको बच्चे समझते हैं? वित्तमंत्री और रक्षामंत्री ने पूरी कोशिश की रफाल सौदे पर उठे सारे सवालों के जवाब देने की, लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस सांसद सुनने नहीं आए थे। चर्चा की मांग उन्होंने सिर्फ इसलिए की ताकि उनके अध्यक्ष फिर से प्रधानमंत्री पर बेईमान और भ्रष्ट होने के आरोप लगा सकें।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> शायद वे अंग्रेजी की उस कहावत को ध्यान में रख कर चल रहे हैं कि झूठ को बार-बार बोलने से झूठ सच बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले शायद उनको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी पर इतना कीचड़ उछालने के बाद भी इस देश के आम आदमी को नहीं लगता है अभी तक कि 'देश का चौकीदार चोर है'।

राहुल गांधी ने पत्रकारों को बुला कर फिर से वही बातें दोहराईं, जो कई दिनों से दोहराते आए हैं : देश का चौकीदार चोर है। इस बार उन्होंने युवाओं और किसानों को खास तौर पर संबोधित करते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे तीस हजार करोड़ रुपए चुरा कर अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए हैं। मैं इस पत्रकार वार्ता को टीवी पर देख रही थी, इस उम्मीद से कि कम से कम एक पत्रकार राहुल गांधी से इस आरोप का सबूत मांगेगा। पर किसी ने सवाल उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई।

उलटा कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया स्मिता प्रकाश पर कि उनको प्रधानमंत्री ने इस वर्ष का पहला इंटरव्यू सिर्फ इसलिए दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि मुश्किल सवाल उनसे नहीं पूछेंगे। गलत। मैंने स्मिता का यह इंटरव्यू शुरू से अंत तक देखा और कई बार हैरान हुई यह देख कर कि बेबाक होकर कठिन सवाल उसने पूछे, जो शायद पहले कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछे गए हैं। नोटबंदी, किसानों की कर्जमाफी, हाल में हुए तीन राज्यों के चुनावों में भाजपा की हार, रफाल सौदे और जीएसटी पर भी। सो, राहुल गांधी का यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद था। ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आदत डाल ली है बेबुनियाद इल्जाम लगाने की।

पहले से थी उनको यह आदत। 2014 के चुनाव अभियान में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ जैसे समझौता करके अपने हर भाषण में कहा था कि मोदी राजनीति में सिर्फ 'अंबानी-अडानी' के लिए काम करने के लिए आए हैं। नोटबंदी जब मोदी ने की तो फिर से उन्होंने कहा कि भारत के आम जनता से पैसे 'लूट' कर मोदी अपने धनवान दोस्तों को दे रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के आरोप उनके मुंह से और भी ज्यादा निकलने लगे हैं, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार महत्त्वपूर्ण राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कई राजनीतिक पंडित कहने लगे हैं कि इस साल होने वाले आम चुनावों में मोदी को चुनौती सिर्फ राहुल गांधी दे सकते हैं।

देश के सबसे पुराने, सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के इस वारिस की तस्वीर कई राजनीतिक पत्रिकाओं के कवर पर छपी है। प्रसिद्ध राजनीतिक पंडितों ने लंबे लेख लिखे हैं, जिनमें उन्होंने राहुल के परिवार के गुण गाए हैं, उनकी राजनीतिक विरासत की प्रशंसा की है। ऐसा होने से राहुल के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि प्रधानमंत्री पर हुकुम चलाने लगे हैं। संसद में आओ और मेरे साथ बहस करने की हिम्मत दिखाओ। संसद से भाग क्यों गए हैं प्रधानमंत्री। ऐसी बातें उनसे अब रोज सुनने को मिलती हैं। वे शायद भूल गए हैं कि राजनीति में मर्यादा होती है, और जब कोई विपक्ष का नेता देश के प्रधानमंत्री को इस तरह बदनाम करने की कोशिश करता है तो बदनाम देश को भी करता है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करता है। और ऐसा करके अपने आपको भी नीचा दिखाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष हवा में इतना घूमने लगे हैं इन दिनों कि उनको यह भी नहीं दिखता कि रफाल सौदे और बोफोर्स सौदे में बहुत बड़ा अंतर है। उनके पिताजी को चोर उस समय कहा गया, जब साबित किया स्वीडिश रेडियो के खोजी पत्रकारों ने कि बोफोर्स कंपनी ने अपने हथियार बेचने के लिए भारत सरकार के आला अधिकारियों को रिश्वत दी थी। जब बोफोर्स के नुमाइंदे दिल्ली आए स्पष्ट करने उन तमाम अधिकारियों और दलालों के नाम, जिनको रिश्वत दी गई थी तो राजीव गांधी ने इन नामों को सार्वजनिक करने से इंकार किया राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर। बाद में मेरी दोस्त चित्रा सुब्रमण्यम की खोजी पत्रकारिता से मालूम हुआ कि रिश्वत का पैसा पाया गया है सोनिया गांधी के दोस्त ओक्तावियो क्वात्रोकी और उनकी पत्नी मारिया के स्विस खातों में। क्वात्रोकी भारत में थे जब बैंक खातों का खुलासा हुआ और उसी दिन रातों-रात भाग गए। सोनिया गांधी के चुने हुए प्रधानमंत्री नरसिंह राव कैसे रोकते सोनिया गांधी के दोस्त को?

जिस दिन राहुल गांधी साबित करके दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी के किसी दोस्त के स्विस खाते में रफाल का रिश्वत का पैसा पाया गया है, उस दिन उनको पूरा अधिकार होगा 'देश का चौकीदार चोर है' कहने का। तब तक उस पद की गरिमा कायम रखें, जिस पर वे खुद बैठना चाहते हैं अगले आम चुनावों के बाद।

या शायद वे अंग्रेजी की उस कहावत को ध्यान में रख कर चल रहे हैं कि झूठ को बार-बार बोलने से झूठ सच बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले शायद उनको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी पर इतना कीचड़ उछालने के बाद भी इस देश के आम आदमी को नहीं लगता है अभी तक कि 'देश का चौकीदार चोर है'। नुकसान हुआ है अगर किसी का तो कांग्रेस अध्यक्ष का, क्योंकि उन्होंने एक अति-गंभीर मुद्दे का तमाशा बना दिया है बचकानी बातें करके। कसर था कोई तो पिछले हफ़्ते पूरा किया लोकसभा के अंदर कागज के जहाज उड़ा कर।

साधो घर में झगड़ा भारी

साधो घर में झगड़ा भारी!

नई भक्तिनें दर्शन चाहें, और भक्त जी रोक लगावें! सबरीमला की महिमा न्यारी!

साधो घर में झगड़ा भारी!

वो नास्तिक हैं। ये आस्तिक हैं। वो कम्युनिस्ट हैं। ये भाजपा हैं, कांग्रेसी हैं। वे धर्म को नहीं मानते। धर्म बिना ये रह नहीं सकते।

सबरीमला पर है मारा मारी।

साधो घर में झगड़ा भारी!

आधी रात दर्शन करवाए। हाय हाय दर्शन करवाए!

पाप कराया पाप कराया! हाय हाय यह कलजुग आया! पाप कराया पाप कराया! मंदिर को अपवित्र कराया! शुद्धीकरण की करो तैयारी!

एक मर गया, बीस पिट गए! कैसी है बीमारी।

साधो घर में झगड़ा भारी!

चैनल दुखी। दुखी हैं एंकर। किसकी लाइन लेवें एंकर। बीच बचाव करें तो ठुकते। मीडिया की लाचारी!

भक्तों में कंपटीशन भारी!

साधो घर में झगड़ा भारी!

शुक्रवार को सारे चैनल दिखा रहे थे कैसे केरल 'उबल' रहा है!

ईश्वर की कंट्री है न्यारी!

साधो घर में झगड़ा भारी!

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खबर दी। दस जनवरी की डेट सुनाई। मंदिर के 'टाइटिल डीड' की शुरू होत सुनवाई। एक खास बेंच बन जाई!

चैनलों की बन आई। सबने लंबी बहस कराई।

क्या क्या सीन दिखावें चैनल! मंदिर तुरत बनावें चैनल! बाबा देत गवाही!

एक बाबा से चैनल पूछे : आत्मदाह की धमकी दी है, डेट नहीं बतलाई?

चैनल ऐसी खबर बनाई!

मंदिर नहीं तो सरकार नहीं! अब न बना तो कभी न बनेगा?

सरकार ने चुप्पी लगाई!

मंदिर वहीं बनाएंगे हम! मंदिर नहीं तो वोट न होगा। मंदिर बिन सरकार न होगी! बच्चा बच्चा राम का! जन्मभूमि के काम का!

नारे लगते भारी!

बारबार

■ सुधीश पचौरी

> एक दिवस अपरान्ह काल में चैनल चैनल पीएम बोले। पीएम का इंटरव्यू सब पर भारी। चैनल बारंबार दिखाते। सारे मुद्दों पर चर्चा थी एक एक बात साफ थी। नब्बे मिनट का इंटरव्यू था। एएनआई धन्य-धन्य था। हर चैनल अति ही प्रसन्न था!

चैनल पर एक बाबा बोले : इंपीचमेंट का मोशन लाई। न्यायाधीश को देहु भगाई !

एंकर बोला : कैसा शाप देत हैं सांई?

बाबा बोले : हमरी आस्था का सवाल है...

एक दिवस अपरान्ह काल में चैनल चैनल पीएम बोले। पीएम का इंटरव्यू सब पर भारी। चैनल बारंबार दिखाते। सारे मुद्दों पर चर्चा थी एक एक बात साफ थी। नब्बे मिनट का इंटरव्यू था। एएनआई धन्य-धन्य था। हर चैनल अति ही प्रसन्न था!

पर, कांग्रेस को चैन कहां है? सीधी प्रेस कान्फ्रेंस कर डाली!

ऐसा तो रोज होता है। एक बोलता है तो भैया दूसरा भी बोला करता है!

वो कहते हैं ये झूठा है। ये कहते हैं वो झूठा है। हर दिन की तू तू मैं मैं है।

कैसे सच बतलाई!

संसद में राहुल ने चाहा टेप सुनाएं! टेप सुना कर पोल दिखाएं! इतने में हंगामा भारी!

चैनल बार बार दिखलाते। हंगामे की कथा सुनाते! कुछ सांसद परचे बरसाते। नारे लगाते भारी!

साधो संसद में झगड़ा भारी!

संसद को संसद ही रहने दो। मछली बाजार उसे न बनाओ!

संसद की बलिहारी!

साधो घर में झगड़ा भारी!

देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं! गुजराती आदेश कराएं। अपने स्कूलों के बालक 'यस सर' 'यस सर' कभी न बोलें। बोलें तो 'जय हिंद' ही बोलें।

देशभक्ति बढ़ जाई!

उधर कमलनाथ जी बोले। अब सरकारी दफ्तरों में वंदेमातरम् नहीं चलेगा!

खूब हुई हाय हाय! खूब हुई हाय हाय! हाय हाय हाय हाय! ये तो देशद्रोह है भाई !कांग्रेस की हुई पिटाई!

कमलनाथ ने खबर बनाई! 'इमरजेंसी के फाइटरों' की पेंशन है रुकवाई! हाय हाय हाय हाय! हाय हाय हाय हाय! ये क्या हो रहा है भाई!

तीन लोक से यूपी न्यारी!

पूर्वांचल के वीसी जी ने छात्रों से खुल्लमखुल्ला बोला : जब भी जाना मार के आना! पड़े जरूरत मर्डर भी कर सकते भाई!

बाकी हम हैं हातिमताई!

बुलंदशहर का नामी बंदा! लिंचिंग में आरोपित बंदा! गायब रहा महीने बंदा, पकड़ गया खुर्जे में बंदा!

एंकर बोला : इतनी देर लगी क्यों भाई? खुर्जा क्या अमेरिका भाई? क्यों खेले हो बत्तीस दिन तक छुपम छुपाई?